रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102026-277564
CG-DL-E-31102026-277564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5655] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948
No. 5655] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5887(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में NH753F के कि.मी. 88.8 से कि.मी.95.27 (Sub-Divisional Office, Sillod) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा भूसंपादन अधिकारी सिल्लोड को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो

आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले में NH753F के कि.मी. 88/800 से कि.मी. 95/270 (अजंठाघाट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			**जिले का नाम: छत्रपति संभाजीनगर**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: सिल्लोड					
गांव का नाम: अजंठा					
1	101	निजी	असिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
2	105	निजी	असिंचित	0.2664 (हेक्टेयर)	0.2664
3	109	सामान्य	असिंचित	0.3492 (हेक्टेयर)	0.3492
4	110	सामान्य	असिंचित	0.9485 (हेक्टेयर)	0.9485
5	112	निजी	असिंचित	0.1153 (हेक्टेयर)	0.1153
6	113	निजी	असिंचित	1.3211 (हेक्टेयर)	1.3211
7	120	निजी	असिंचित	1.136 (हेक्टेयर)	1.136
8	121	सामान्य	असिंचित	0.4789 (हेक्टेयर)	0.4789
9	123	निजी	असिंचित	0.3693 (हेक्टेयर)	0.3693
10	125	सामान्य	असिंचित	0.1551 (हेक्टेयर)	0.1551
11	126	सामान्य	असिंचित	1.369 (हेक्टेयर)	1.369
12	127	सामान्य	असिंचित	0.4575 (हेक्टेयर)	0.4575
13	73	सरकारी	असिंचित	2.74 (हेक्टेयर)	2.74
गांव का नाम: अनाड					
14	58	सामान्य	असिंचित	3.4635 (हेक्टेयर)	3.4635
15	60	निजी	असिंचित	0.102 (हेक्टेयर)	0.102
तालुक का नाम: सोयगाव					
गांव का नाम: ठाणा					
16	100	सामान्य	असिंचित	1.3105 (हेक्टेयर)	1.3105
17	101	सरकारी	असिंचित	3.6 (हेक्टेयर)	3.6
18	102	सामान्य	असिंचित	1.0616 (हेक्टेयर)	1.0616

19	103	निजी	असिंचित	0.1598 (हेक्टेयर)	0.1598
20	104	निजी	असिंचित	0.0366 (हेक्टेयर)	0.0366
21	108	निजी	असिंचित	0.2325 (हेक्टेयर)	0.2325
22	109	निजी	असिंचित	0.5711 (हेक्टेयर)	0.5711
23	110	निजी	असिंचित	0.3736 (हेक्टेयर)	0.3736
24	113	निजी	असिंचित	0.4658 (हेक्टेयर)	0.4658
25	114	निजी	असिंचित	0.2354 (हेक्टेयर)	0.2354
26	20	निजी	असिंचित	0.9353 (हेक्टेयर)	0.9353
27	21	निजी	असिंचित	1.0364 (हेक्टेयर)	1.0364
28	23	सरकारी	असिंचित	0.474 (हेक्टेयर)	0.474
29	27	सरकारी	असिंचित	0.0645 (हेक्टेयर)	0.0645
30	29	सरकारी	असिंचित	0.8706 (हेक्टेयर)	0.8706
31	30	सरकारी	असिंचित	0.7366 (हेक्टेयर)	0.7366
32	92	सामान्य	असिंचित	0.0846 (हेक्टेयर)	0.0846
गांव का नाम: फर्दापूर					
33	62	सरकारी	असिंचित	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
34	63	सरकारी	असिंचित	0.298 (हेक्टेयर)	0.298
35	64	सरकारी	असिंचित	0.562 (हेक्टेयर)	0.562
36	68	सरकारी	असिंचित	0.5064 (हेक्टेयर)	0.5064
				Total	**26.9388**

[फा. सं. RW/NH-12014/49/2026/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5887(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-753F in the stretch of land from Km. 88/800 to Km. 95/270 of New Four Lane Ajanta ghat in the district of Chhatrapati Sambhajinagar in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Dy. Collector and Competent Authority of Land Acquisition**, Sillod in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-753F in the stretch of land from Km. 88/800 to Km. 95/270 of New Four Lane Ajanta ghat in the district of Chhatrapati Sambhajinagar in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			**District: Chhatrapati Sambhajinagar**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Sillod					
Village: Ajantha					
1	101	Private	Unirrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
2	105	Private	Unirrigated	0.2664 (Hectare)	0.2664
3	109	Common	Unirrigated	0.3492 (Hectare)	0.3492
4	110	Common	Unirrigated	0.9485 (Hectare)	0.9485
5	112	Private	Unirrigated	0.1153 (Hectare)	0.1153
6	113	Private	Unirrigated	1.3211 (Hectare)	1.3211
7	120	Private	Unirrigated	1.136 (Hectare)	1.136
8	121	Common	Unirrigated	0.4789 (Hectare)	0.4789
9	123	Private	Unirrigated	0.3693 (Hectare)	0.3693
10	125	Common	Unirrigated	0.1551 (Hectare)	0.1551
11	126	Common	Unirrigated	1.369 (Hectare)	1.369
12	127	Common	Unirrigated	0.4575 (Hectare)	0.4575
13	73	Government	Unirrigated	2.74 (Hectare)	2.74

Village: Anad					
14	58	Common	Unirrigated	3.4635 (Hectare)	3.4635
15	60	Private	Unirrigated	0.102 (Hectare)	0.102
Taluk: Soygaon					
Village: Thana					
16	100	Common	Agriculture	1.3105 (Hectare)	1.3105
17	101	Government	Unirrigated	3.6 (Hectare)	3.6
18	102	Common	Unirrigated	1.0616 (Hectare)	1.0616
19	103	Private	Unirrigated	0.1598 (Hectare)	0.1598
20	104	Private	Unirrigated	0.0366 (Hectare)	0.0366
21	108	Private	Unirrigated	0.2325 (Hectare)	0.2325
22	109	Private	Unirrigated	0.5711 (Hectare)	0.5711
23	110	Private	Unirrigated	0.3736 (Hectare)	0.3736
24	113	Private	Unirrigated	0.4658 (Hectare)	0.4658
25	114	Private	Unirrigated	0.2354 (Hectare)	0.2354
26	20	Private	Unirrigated	0.9353 (Hectare)	0.9353
27	21	Private	Unirrigated	1.0364 (Hectare)	1.0364
28	23	Government	Unirrigated	0.474 (Hectare)	0.474
29	27	Government	Unirrigated	0.0645 (Hectare)	0.0645
30	29	Government	Unirrigated	0.8706 (Hectare)	0.8706
31	30	Government	Unirrigated	0.7366 (Hectare)	0.7366
32	92	Common	Unirrigated	0.0846 (Hectare)	0.0846
Village: Fardapur					
33	62	Government	Unirrigated	0.05 (Hectare)	0.05
34	63	Government	Unirrigated	0.298 (Hectare)	0.298
35	64	Government	Unirrigated	0.562 (Hectare)	0.562
36	68	Government	Unirrigated	0.5064 (Hectare)	0.5064
				Total	**26.9388**

[F. No. RW/NH-12014/49/2026/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.